क्रम-संख्या–119(ग)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

### भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 जुलाई, 2023
आषाढ़ 22, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1

संख्या 09 / 2023 / 217 / 80-1–2023-80-1001-318-2019
लखनऊ, 13 जुलाई, 2023

अधिसूचना

सा०प०नि०–33

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

### उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (छब्बीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (छब्बीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2-उक्त नियमावली में, नियम 2 में खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (तीन-क) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"(3-क) 'डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्स' का तात्पर्य ऐसे लाइसेन्स से है जिसके द्वारा कोई लाइसेन्सधारी राज्य के समस्त मण्डी क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के व्यापार के लिए ऑनलाइन/डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराने तथा प्रचालित करने के लिए प्राधिकृत होगा। निदेशक, मण्डी, जो इस नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाइसेंस जारी/नवीकृत करने हेतु प्राधिकृत है, द्वारा डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्स निर्गत/नवीकृत किया जायेगा।"

नियम 50-क (1) का संशोधन

3-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965, जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 50-क के उप-नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान उप–नियम | स्तम्भ-2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम |
|---|---|
| (1) मण्डी समिति, मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को निकासी के लिए प्रपत्र संख्या में 5-क में गेट-पास जारी करेगी। गेट-पास की मांग करने वाला व्यक्ति प्रपत्र संख्या-5 में आवेदन करेगा। उक्त प्रपत्र में वह यह घोषणा देगा कि ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सौदों पर राज्य में किस मण्डी क्षेत्र में मण्डी शुल्क या विकास सेस उद्ग्रहीत किया जा चुका है। सचिव या समिति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी घोषणा में दी गयी सूचना की शुद्धता के बारे में प्रपत्र संख्या-5 पर अपना प्रमाण-पत्र पृष्ठांकित करेगा और गेट-पास जारी करेगा। | (1) मण्डी समिति, मण्डी क्षेत्र से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के निकासी के लिए प्रपत्र संख्या पाँच-क में गेट-पास जारी करेगी। गेट-पास की मांग करने वाला व्यक्ति प्रपत्र संख्या-पाँच में आवेदन करेगा। उक्त प्रपत्र में वह यह घोषणा देगा कि ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विक्रय सौदों पर राज्य में किसी मण्डी क्षेत्र में मण्डी शुल्क या विकास उपकर उद्गृहीत किया जा चुका है। सचिव या समिति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी घोषणा में दी गयी सूचना की शुद्धता के सम्बन्ध में प्रपत्र संख्या-पाँच पर अपना प्रमाण-पत्र पृष्ठांकित करेगा। यदि कोई लाइसेंसधारी या व्यापारी मण्डी शुल्क तथा विकास उपकर का भुगतान ऑनलाइन करता है और गेट-पास की मांग हेतु प्रपत्र-पाँच में दी गयी शर्तों के पूर्ण होने की घोषणा करता है तो गेट-पास स्वतः जारी हो जायेगा। |

नया नियम 58-ङ का बढ़ाया जाना

4-उक्त नियमावली में, नियम 58-घ के पश्चात नया नियम 58-ङ बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"अधिनियम की धारा 7(2)(ख) के अधीन निदेशक, मण्डी द्वारा डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता हेतु लाइसेन्स प्रदान किया जाना/नवीकरण –

58-ङ (1) कोई व्यक्ति [अधिनियम की धारा 2 (ङ-1) में यथा उल्लिखित] तथा कोई कृषक सहकारी समूह/कृषक उत्पादक संगठन, जो मुख्य मण्डी स्थल/उप-मण्डी स्थल/मण्डी उप-स्थल/निजी मण्डी स्थल से बाहर डिजिटल प्लेटफार्म के प्रचालन का इच्छुक हो, अधिनियम की धारा 7(2)(ख) के अधीन प्रपत्र-सत्रह में निदेशक, मण्डी को प्लेटफार्म का ब्यौरा और प्रपत्र में विहित अन्य सूचनाओं के साथ डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्स हेतु आवेदन करेगा।

(2) आवेदक, वित्तीय प्रास्थिति, सहायक दस्तावेजों सहित संसाधनों का ब्यौरा, बैंक-विवरण, गत तीन वर्षो की आयकर विवरणी, स्थायी परिसम्पत्तियाँ एवं देयताओं की सूची और कम्पनी के मामले में संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद प्रस्तुत करेगा।

(3) निदेशक, मण्डी, किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारियों जिन्हें वह उचित समझे, के परामर्श से प्रस्ताव का परीक्षण करेगा और सुधार हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दे सकता है तथा स्वयं का समाधान करने के पश्चात् प्रपत्र-सत्रह-क में लाइसेन्स स्वीकृत कर सकता है।

(4) डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्सधारी, लाइसेन्स के नवीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र-सत्रह में निदेशक, मण्डी परिषद को प्रस्तुत करेगा और ऐसा अधिकारी शर्तों के पूर्ण होने पर आवश्यक पूछताछ, जिन्हें वह उचित समझे, करने के पश्चात् डिजिटल प्लेटफार्म का लाइसेन्स नवीकृत कर सकता है।

(5) ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता के प्रत्येक लाइसेन्स के लिए लाइसेंस शुल्क और प्रतिभूति क्रमशः 25,000 रूपये प्रति वर्ष और पहले वर्ष के लिए एक लाख रूपये होगी। पश्चातवर्ती वर्ष के लिए लाइसेंस के नवीकरण हेतु प्रतिभूति धनराशि एक लाख रूपये या पिछले वर्ष में किये गये व्यापार मूल्य का 1.5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगी।

(6) विनिर्दिष्ट कृषि वस्तु के लिए ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफार्म के प्रचालन हेतु लिए गये लाइसेन्स को "डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्स" के नाम से जाना जायेगा ।

(7) डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्स केवल एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगा। अग्रतर, कारबार हेतु कम्पनी को प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स का नवीकरण करवाना अनिवार्य होगा ।

(8) यदि कोई डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्सधारी क्रय/विक्रय के भण्डारण/प्रेषण/संग्रहण हेतु कोई स्थान चिन्हित करता है तो उसकी सूचना मण्डी परिषद को उपलब्ध करानी होगी।

(9) डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी प्रकार के स्टोर/केन्द्र स्थापित करने पर इसकी सूचना सम्बन्धित मण्डी समिति को देनी होगी। इस प्रकार के भण्डार/केन्द्र का उपयोग केवल कृषि उत्पाद के संग्रह/परिदान/प्रेषण हेतु जो डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से क्रय/विक्रय की जाती हो किया जायेगा।

(10) अनुमोदित/नवीकृत डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता के लाइसेंसों को निलम्बित तथा रद्द करने का अधिकार निदेशक, मण्डी में निहित होगा। यदि लाइसेंसधारी विहित निर्बंधन एवं शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो निदेशक, मण्डी द्वारा उसे निलम्बित/रद्द किया जा सकता है।

(11) निदेशक, मण्डी, उत्तर प्रदेश किसी पृथक आदेश के माध्यम से प्ररूप तथा शर्तों में आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकते हैं।"

5-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 69 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:- नियम 69 का संशोधन

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ-2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| (1) मण्डी समिति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा शुल्क या विकास सेस वसूल किया जायेगा और इस नियमावली तथा उप-विधियों के अधीन अपने वसूल किये गये शुल्कों या | (1) शुल्क या विकास उपकर, इस निमित्त समिति द्वारा प्राधिकृत मण्डी समिति के कर्मचारी द्वारा संगृहीत किया जायेगा और इस नियमावली तथा उपविधियों के अधीन उससे संगृहीत शुल्क |

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ-2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
| --- | --- |
| विकास सेस के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति को प्रपत्र संख्या-7 में एक रसीद देगा जिस पर उसकी यथास्थिति हस्ताक्षर होंगे।<br>(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो शुल्कों या विकास सेस की वसूल करने के लिए मण्डी समिति द्वारा प्राधिकृत हो, रसीदें भुगतानकर्ताओं को देगा और इस प्रकार दी गयी रसीदों के प्रतिपर्ण अपने पास रख लेगा और समस्त प्राप्तियों का लेखा दिन में कम से कम एक बार उस व्यक्ति को देगा जो मण्डी समिति द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत हो। | या विकास उपकर के सम्बंध में प्रत्येक व्यक्ति को प्रपत्र संख्या सात में उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित रसीद दिया जायेगा।<br>(2) मण्डी समिति द्वारा शुल्क या विकास उपकर संग्रह किये जाने हेतु प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भुगतानकर्ताओं को रसीदें देगा तथा इस प्रकार प्रदत्त रसीदों का प्रतिपर्ण अपने पास रखेगा और समस्त रसीदों का लेखा, मण्डी समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति को दिन में कम से कम एक बार देगा।<br>(3) डिजिटल/ऑन-लाइन भुगतान की दशा में बैंक द्वारा अभिस्वीकृति दिये जाने पर प्रपत्र-सात स्वत: जारी हो जायेगा। |

नये प्रपत्रों सत्रह तथा सत्रह-क का बढ़ाया जाना

6-उक्त नियमावली में, प्रपत्र सोलह-ख के पश्चात निम्नलिखित नया प्रपत्र सत्रह तथा प्रपत्र सत्रह-क बढ़ा दिये जायेंगे:-

**"प्रपत्र-सत्रह**

[नियम 58 (ङ)(1) देखिए]

(डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता के लाइसेन्स की मंजूरी/नवीकरण हेतु आवेदन)

सेवा में,

निदेशक,
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

मैं/हम..........................................................................(नाम, पिता का नाम सहित), पता...................................................................एतद्द्वारा डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु नियमों के अनुसार लाइसेन्स की स्वीकृति/नवीकृत किये जाने निमित्त अनुरोध करता हूँ/करते हैं। अधिनियम और नियमावली के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज इसके साथ संलग्न हैं। मैं/हम उपरोक्त लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए नियमानुसार आवश्यक लाइसेन्स शुल्क और प्रतिभूति का संदाय करने के लिए तैयार और इच्छुक हूँ/ हैं।

मैं/ हम आपसे लाइसेन्स की स्वीकृति /नवीकरण हेतु अनुरोध करता हूँ/करते हैं।

स्थान..................................
दिनांक..............................

(भवदीय)......................
नाम............................
फर्म की मुहर................

(जो लागू न हो उसे काट दें)

**इस आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज-**

(1) कम्पनी, सहकारी समिति/संस्था, न्यास, निगम, भागीदारी इत्यादि के सम्बन्ध में निगमन या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र ।

(2) प्रस्तावित डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता का संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद और प्रवर्तनात्मक तथा कार्यकारी दिशा-निर्देश (यथाप्रयोज्य)।

(3) समस्त निदेशकों और स्वामियों तथा भागीदारों इत्यादि के नाम और पूर्ण पता और दूरभाष संख्या (वे तत्काल अनुवर्ती परिवर्तन, यदि कोई हो, सूचित करेंगे)।

(4) कम्पनी, सहकारी समिति/संस्था, न्यास, निगम, भागीदारी इत्यादि के संबंध में मण्डी समिति का लाइसेन्सी होने का प्रमाण पत्र।

(5) सहायक दस्तावेजों यथा बैंक विवरण, आयकर विवरणी, स्थायी खाता संख्या, आस्तियों और देयताओं का विवरण सहित आवेदक की वित्तीय प्रास्थिति और उनका किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा जारी किया गया मूल्यांकन प्रमाण-पत्र।

(6) लाइसेन्स शुल्क/प्रतिभूति का संदाय कर दिये जाने के समर्थन में बैंक ड्राफ्ट।

(7) प्रवर्तनात्मक एवं कार्यकारी दिशा-निर्देश कि कैसे डिजिटल प्लेटफार्म संचालित, नियंत्रित तथा प्रचालित किया जायेगा।

(8) डिजिटल प्लेटफार्म पर उपयोग की जाने वाली समस्त सुविधाओं जैसे सर्वर, एप्लिकेशन और तकनीक का विवरण।

(9) बैंक प्रत्याभूति जैसा कि इस नियमावली में उप-बंधित हैं, वचन-पत्र और शपथ-पत्र जिनका आवेदक, अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के समस्त उपबंधों का अनुपालन करेगा और उल्लंघन की दशा में वह/वे विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा/होंगे, जिसमें लाइसेन्स का रद्दकरण और समस्त देयकों की संग्रहण सम्मिलित है।

(10) निदेशक, मण्डी द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना/दस्तावेज जैसा कि उपविधि में विहित किया गया हो।

(11) कोई अन्य सुसंगत सूचना/दस्तावेज जिन्हें आवेदक प्रस्तुत करने का इच्छुक हो।

(भवदीय)......................

नाम.............................

फर्म की मुहर

----------

**प्रपत्र सत्रह (क)**

[नियम 58 (ङ)(3) देखिए]

(डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्स)

एतदद्वारा मेसर्स.........................................को उसके प्रबन्ध निदेशक/फर्म के भागीदार श्री....................................................पुत्र श्री......................पता..................के माध्यम से डिजिटल प्लेटफार्म की स्थापना/उसके कृत्य के लिए दिनांक............से..................... तक की अवधि के लिए लाइसेन्स स्वीकृत/नवीकृत किया जाता है।

निदेशक

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद

मुहर

**शर्तें-**

1-लाइसेन्सधारी निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को समय-समय पर यथाअपेक्षित सूचना उपलब्ध करायेगा।

2-डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेंसधारी उपबन्धित किये जाने वाले समस्त नियमों और विनियमों का अनुपालन करेंगे।

3-डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्सधारी द्वारा राज्य की विभिन्न अभिकरणों/ विभागों की विधि के अनुसार, समस्त कर, शुल्क, उप-कर और प्रभार संदेय होंगे।

4-डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्स केवल एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगा। कारबार जारी रखने के लिये कम्पनी को प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स का नवीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

5-ई-नीलामी ऑनलाइन व्यापार प्लेटफार्म के प्रचालन हेतु आवेदक मण्डी अधिनियम 1964 की धारा-2 (ङ-1), नियम-70(1) और नियम 70(3) के अनुसार परिभाषित होंगे।

6-ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता का विधिक एवं भौतिक कार्यालय उत्तर प्रदेश में होना अनिवार्य होगा।

7-ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता का कंपनी अधिनियम, 1956 या किसी अन्य विद्यमान में प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य होगा।

8-ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता का पिछले 02 वर्षों का औसत वार्षिक व्यापार न्यूनतम रू० 50 लाख होना चाहिये।

9-ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफार्म पर केवल प्राथमिक व्यापार की अनुज्ञा होगी।

10-प्रत्येक प्रदाता द्वारा प्रचालित मण्डी परिषद के साथ ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफार्म पोर्टल का एकीकरण करने के लिए अनिवार्य होगा अर्थात् दैनिक रूप से कारबार की सूचना ऑनलाइन ही परिषद को उपलब्ध करानी होगी। साथ ही लाइसेन्सधारी के पोर्टल पर मण्डी परिषद का अभिगमन (Access) अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

11-ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफार्म पर प्राथमिक कारबार करने वाला विक्रेता कोई भी हो सकता है, परन्तु क्रेता के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध यह होगा कि क्रेता का मण्डी समिति, उत्तर प्रदेश का लाइसेन्सधारी होना अनिवार्य होगा। क्रेता अपनी लाइसेंस की सीमा के अन्तर्गत ही डिजिटल प्लेटफार्म पर उत्पाद क्रय कर सकेगा।

12-ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

13-प्रदाता द्वारा किसी कृषक के रजिस्ट्रीकरण/व्यापार हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा, परन्तु व्यापारियों/आढ़तियों के रजिस्ट्रीकरण/व्यापार हेतु शुल्क लिये जाने का अधिकार कम्पनी को होगा।

14-प्रदाता द्वारा विनिर्दिष्ट/गैर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों का व्यापार किया जा सकेगा परन्तु विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद व्यापार करने हेतु प्रदाता को मण्डी समिति, उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य होगा।

15-ऑनलाइन व्यापार प्लेटफार्म का पोर्टल या एप एमईआईटीवाई द्वारा अनुमोदित क्लाउड सर्वर पर होना अनिवार्य होगा।

16-डिजिटल प्लेटफार्म का पोर्टल या एप मल्टी डोमेन नहीं होना चाहिए तथा इस पर केवल कृषि उत्पाद का व्यापार करने की ही अनुज्ञा प्राप्त की जा सकेगी।

17-डिजिटल प्लेटफार्म में ई-नीलामी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

18-ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता द्वारा किया गया व्यापार यद्यपि ऑनलाइन माध्यम से किया जायेगा परन्तु भौतिक रूप से व्यापार अर्थात् क्रय/विक्रय का स्थल विक्रेता का स्थल, जहाँ पर उत्पाद वास्तविक रूप में रखा हो, ही माना जायेगा। व्यापार से जुड़े किसी भी विवाद की स्थिति में क्रय/विक्रय का स्थल सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा मण्डी अधिनियम, नियमावली, उपविधि तथा अन्य लागू आदेशों के अधीन ही विवाद का निपटारा किया जायेगा।

19-प्रत्येक व्यापार पर मण्डी शुल्क तथा विकास उपकर संदेय होगा तथा देय मण्डी शुल्क तथा विकास उपकर की देयता पूर्ण रूप से डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता की होगी।

20-डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी प्रकार के स्टोर/केन्द्र स्थापित करने पर इसकी सूचना सम्बन्धित मण्डी समिति को देनी होगी। इस प्रकार के स्टोर/ केन्द्र का उपयोग केवल डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से हुए कृषि उत्पाद के क्रय विक्रय के संग्रहण/डिलीवरी/प्रेषण के लिए ही किया जायेगा। इस प्रकार के स्टोर/केन्द्र पर प्रदाता को न्यूनतम सुविधायें जैसाकि उपविधि में उल्लिखित हो प्रदान करनी होगी। इस प्रकार के केन्द्र/स्टोर पर प्रयोग डिजिटल प्लेटफार्म के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से हुए क्रय विक्रय के संग्रहण/डिलीवरी/प्रेषण के लिए नहीं किया जायेगा।

21-प्रदाता द्वारा मण्डी शुल्क और विकास उपकर का भुगतान किये जाने के पश्चात् ही गेट-पास जारी किया जा सकेगा।

22-निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा पृथक से आदेश के माध्यम से उक्त प्ररूप तथा शर्तें आवश्यकतानुसार संशोधित की जा सकती हैं।

23-ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफार्म पर क्रय-विक्रय के पश्चात् उत्पाद की गुणवत्ता, पैकेजिंग, छंटाई/ग्रेडिंग, डिलीवरी, तौल, दर एवं भुगतान इत्यादि सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्लेटफार्म प्रचालक की होगी। इस सम्बन्ध में यदि क्रेता-विक्रेता के मध्य विवाद होता है तो प्लेटफार्म प्रचालक उसका निपटारा करायेगा।"

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

----------

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 09/ 2023/ 217/ LXXX-1-2023-80-1001/318-2019, dated July 13, 2023:

No: 09 /2023/217/ LXXX -1-2023-80-1001/318-2019

*Dated Lucknow, July* 13, 2023

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 40 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964), *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (CHHABBEESWAN SANSHODHAN) NIYAMAWALI, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Chhabbeeswan Sanshodhan) Niyamawali, 2023.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 2

2. In the said rules, in rule 2 *after* clause (iii) the following new clause (iii-a) shall be *inserted*, namely:-

"(iii-a) 'Digital Platform Service Provider Licence' means a licence by which a licencee will be authorized to provide and operate an online/ digital platform for trading of specified agricultural produce in all market areas of the state. The Digital Platform Service Provider Licence shall be issued/renewed by the Director of Mandis, who is authorized to issue/renew the licence, as per the procedure laid down in these rules."

Amendment of rule 50-A(1)

3. In the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965 hereinafter referred to as the "said rules" *for* sub-rule (1) of rule 50-A set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

| COLUMN-1<br>*Existing sub-rule* | COLUMN-2<br>*Sub-rule as hereby substituted* |
|---|---|
| (1) The Market Committee Shall issue gate-pass in Form No. V-A for exit of the Specified agricultural produce from the Market Area. The person asking for the gate pass shall apply for the same in Form No. V. He shall give a declaration in the said form that market fee or development cess has been levied on transactions of sale of such specified agricultural produce in a Market Area in the State. The Secretary or any other official authorised by the committee shall endorse on Form No.V. its certificate regarding correctness of the information so given. | (1) The Market Committee shall issue gate-pass in Form No. V-A for exit of the Specified agricultural produce from the Market Area. The person asking for the gate pass shall apply for the same in Form No. V. He shall give a declaration in the said form that market fee or development cess has been levied on transactions of sale of such specified agricultural produce in a Market Area in the State. The Secretary or any other official authorised by the committee shall endorse on Form No. V. its certificate regarding correctness of the information so given. If any licensee or trader pays the market fee and development cess online and declares the fulfilment of the conditions given in Form No. V. for the demand of gate pass, then the gate pass shall be issued automatically. |

Insertion of new rule 58-E

4. In the said rules, after rule 58-D, the following new rule-58-E shall be *inserted*, namely:-

"Granting/renewal of licence for Digital Platform Service Provider under section 7(2)(b) of the Act by the Director of Mandis–

58 E(1) Any person [as mentioned in section 2 (m-1) of the Act] and any Farmer Co-operative Group/Farmer Producer Organization, who are desirous of operating a Digital Platform outside the Principal Market Yard/Sub-Market Yard/Market Sub-Yard/Private Market Yard, shall apply in the Form XVII under section 7(2)(b) of the Act to the Director of Mandis for Digital Platform Service Provider Licence, along with the details of the platform and other information prescribed in the form.

(2) Applicant shall submit financial status, details of resources including supporting documents, Bank statement, income tax statement of last three years, list of fixed assets and liabilities, and in case of company, Memorandum of Association and Articles of Association.

(3) The Director of Mandis shall examine the proposal in consultation with such person or authorities as he may deem fit and may suggest necessary measures for improvement and after satisfying himself, he may grant licence in Form XVII-A.

(4) The Digital Platform Service Provider Licensee shall submit an application for renewal of licence in Form XVII to the Director of Market Board and such officer may renew the licence for Digital Platform after making necessary inquiries, as he may deem fit or fulfilment of conditions.

(5) The licence fee and security for each licence of e-auction or Digital Platform Service Provider shall be respectively 25,000 Rs. per annum and One lakh rupees for the first year. For the renewal of the licence for subsequent year, the security shall be One lakh rupees or 1.5% of the trade value done in the previous year, whichever is higher.

(6) The licence taken for the operation of e-auction or digital platform for Specified Agriculture Commodity will be known as "Digital Platform Service Provider Licence".

(7) Digital Platform Services Provider Licence will be valid for only one year. To do business further, it will be mandatory for the company to renew the licence every year.

(8) If any Digital Platform Service Provider Licencee choses a place for storage/dispatch/collection of purchase/sale, then its information shall have to be made available to the Markets Board.

(9) On the establishment of any type of store/centre by Digital Platform Service Provider, its information shall have to be given to the concerned Market Committee. This type of store/centre shall be used only for the Collection/Delivery/Dispatch of agricultural produce which are purchased/sale through Digital Platform.

(10)The right to suspend and cancel the approved/renewed Digital Platform Service Provider Licence shall be vested in the Director of Mandis. If the licencee does not work according to the prescribed terms and conditions, then it can be suspended/cancelled by the Director of Mandis.

(11)Director of Mandis, Uttar Pradesh can amend the format and conditions as per the requirement through a separate order."

5. In the said rules, for rule 69 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:- Amendment of rule 69

| COLUMN-1<br>*Existing rule* | COLUMN-2<br>*Rule as hereby substituted* |
| --- | --- |
| (1) The fees or development cess shall be collected by the servant of the market committee authorised by the Committee in this behalf and receipt in Form No. VII duly signed by him shall be granted to every person in respect of fees or development cess collected from him under these rules or the bye-laws. | (1) The fees or development cess shall be collected by the servant of the market committee authorised by the Committee in this behalf and receipt in Form No. VII duly signed by him shall be granted to every person in respect of fees or development cess collected from him under these rules or the bye-laws. |
| (2) Every person authorised by the Market Committee to collect fees or development cess shall grant receipts to the payers keepings counter-foils of the receipts so granted and shall render account of all receipts at least once a day to the person duly authorised in this behalf by the Market Committee. | (2) Every person authorised by the Market Committee to collect fees or development cess shall grant receipts to the payers keepings counter-foils of the receipts so granted and shall render account of all receipts at least once a day to the person duly authorised in this behalf by the Market Committee. |
| | (3) In case of digital/online payment, Form No. VII shall be issued automatically on the acknowledgement of the bank. |

Insertion of New Forms XVII and XVII-A

6. In the said rules, *after* Form XVI-B the following new Form XVII and Form XVII-A shall be *inserted*, namely:-

**"Form XVII**

[*See* Rule 58(e)(1)]

[Application for grant/renewal of Licence for Digital Platform Service Provider]

To,

The Director,
State Agricultural Produce Market Board,
Uttar Pradesh, Lucknow.

Sir,

I/We................................................... (Name with father's name)..............................................., address................................, hereby request for the grant/renewal of licence for Digital Platform Service Provider as per rules. The necessary documents as required under the provisions of the Act and Rules are enclosed herewith. I am/we are ready and willing to pay the necessary licence fee and security as per rules for obtaining the above licence.

I/We request you to grant/renew the licence.

Yours faithfully,
(Applicant)
Name:
Firm seal.

Place:

Date:

(Strike out whichever not applicable)

**Documents submitted with this application.**

(1) Certificate of incorporation or Registration in respect of Company, Co-operative Society/ Institution, Trust, Corporation, Partnership, *etc.*

(2) Memorandum of Association and Articles of Association and operational and working guidelines of the proposed Digital Platform Service Provider (as applicable).

(3) Names and full address and telephone number of all the Directors and owners and partners *etc.* (They shall inform immediately subsequent changes if any).

(4) Certificate of Licensee of Market committee in respect of Company, Co-operative Society/ Institution, Trust, Corporation, Partnership, *etc.*

(5)Financial Status of the applicant with supportive document such as bank statements, Income-tax returns, PAN, assets and Liability statement and its valuation certificate issued by a recognized chartered accountant.

(6) Demand Draft in support of having paid the Licence fee/Security.

(7) Operational and working guidelines as to how Digital Platform shall be conducted, controlled and operated.

(8)Detail of all facilities such as server, Application and Technology which are used on Digital Platform.

(9) A Bank guarantee as provided in these rules undertaking and affidavit that the applicant shall abide by all the provisions of the Act and rules made thereunder and in case of violation he/they shall be liable for legal action including cancellation of licence and recovery of all dues.

(10) Any other information/document required by the Director of Mandis as prescribed in the bye-laws.

(11) Any other relevant information/documents that the applicant desires to furnish.

Yours faithfully,
(Applicant)
Name:
Firm seal.

**Form XVII (A)**

[*See* Rule 58(e) (3)]

[Digital Platform Service Provider Licence]

Licence is hereby granted/ renewal to M/S ---------- through its Managing director/Partner of the firm Mr.----------- S/O----------- address------------------ for the establishment/function of Digital Platform for the period from------------ to-----------.

Director

State Agricultural Produce Market Board

Seal

**Conditions-**

1. The Licensee shall provide information to the Director of State Agricultural Produce Market Board, UP or to the authorized officer as may be required by him time to time.

2. The Digital Platform Service Provider Licensee shall comply with all the rules and regulation as to be provided.

3. All taxes, fees, cess and charges shall be payable by the Digital Platform Service Provider Licensee as per the law of various agencies/departments of the State.

4. Digital Platform Service Provider licence shall be valid for only one year. For continuing the business, It will be mandatory for the company to renew the licence every year.

5. Applicant for the operation of e-auction or online trading platform will be defined as per the section of 2(m-1), rule 70(1) and rule 70(3) of Market Act 1964.

6. It will be mandatory for e-auction or Digital Platform Service Provider to have a legal & physical office in Uttar Pradesh.

7. It will be mandatory for e-auction or Digital Platform Service Provider to be registered under the Companies Act 1956 or any other existing law in force.

8. The average annual turnover of e-auction or Digital Platform Service Provider for last 2 years should be 50 lakh rupees minimum.

9. Only primary trading shall be permitted on e-auction or Digital Platform.

10. It will be mandatory for each provider to integrate e-auction or digital platform with Market Board, operated by him or it means the information of daily business will have to be made available online to the Board. Along with this, the access of Market Board on the Licence's portal should be mandatory.

11. The seller who is doing primary business on e-auction or digital platform can be anyone, but the restriction regarding the buyer shall, is that, the buyer should be a Licensee of Market Committee of Uttar Pradesh. The buyer shall purchase the produce on digital platform only to the extent of his licence.

12. It will be mandatory for e-auction or Digital Platform Service Provider to follow the rules laid down by the State Govt. time to time.

13. No fee will be charged by the provider for the registration/trade of any farmer, but the company will have the right to charge fee for the registration and trade of traders or commission agents.

14. Specified/non-specified agricultural produce can be traded by the provider, but it will be mandatory for the provider to be registered in the Market Committee of Uttar Pradesh to do the trade of specified agricultural produce.

15. It will mandatory for the portal or app of the online trade platform to be on a cloud server, approved by the MEITY.

16. The portal or app of the Digital Platform should not be multi domain and the permission will be granted for only the trade of agricultural produce.

17. There should be a system of e-auction in Digital Platform compulsorily.

18. Although the trade done by e-auctioner or Digital Platform Service Provider will be done through online medium, but the place of physical trade i.e. purchase/sale will be considered as the seller's place, where the produce is actually kept. In case of any trade related dispute, the place of

purchase/ sale will be settled by the Mandi Committee concerned under the Market Act, rules, bye-laws and other applicable orders.

19. Market fee and development cess shall be payable on every trade and the liability of paying Market Fee & Development cess will be completely of Digital Platform Service Provider.

20. On the establishment of any store/centre by the Digital Platform Service Provider, its information will have to be given to the concerned Market Committee. Such kind of store/centre shall be used only for the collection/delivery/dispatch of the traded agricultural produce through digital platform. At such kind of store/centre, the provider will have to provide the minimum facilities as mentioned in the bye-laws. This type of store/centre should not be used for the collection/delivery/dispatch of any other kind of traded produce of other than Digital Platform.

21. Gatepass can be issued only after the payment of Market fee & Development cess by the provider.

22. The said format or conditions can be amended as per requirement through a separate order by the director of Rajya Krishi Utpadan Mani Parishad, U.P. .

23. It will be responsibility of the platform operator to ensure the quality of produce, packaging sorting/grading, delivery, weighing, rate & payments *etc.* after the trading of that produce on the online/digital platform. In this regard, if there is a dispute between the seller & buyer, the Platform Operator will settle down it."

By order,
DR. DEVESH CHATURVEDI,
*Apar Mukhya Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 457 राजपत्र–2023–(1479)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार–2023–(1480)–100 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

457 RPH 2023 (Krishi Vipran Anubhag-1) data 4e